बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

गार्गी पुरस्कार (कक्षा–10 हेतु) सत्र 2020–21 में आवेदन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित सैकण्डरी, प्रवेशिका व मॉडल स्कूल परीक्षा 2020 में 75 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेगी।

2 छात्रा के कक्षा 11 में नियमित अध्ययनरत रहने पर ही पुरस्कार देय है।

3 पुरस्कार राशि बालिकाओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जावेगी। इस हेतु बैंक पास बुक की फोटो प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी।

4 आवेदन पत्र में बालिका के स्वंय वर्तमान में **LIVE** (वर्तमान में संचालित) बैंक खाते का विवरण देना होगा।

5 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूची में यदि बालिका का नाम नही है तथा उसके प्राप्तांक 75 प्रतिशत या इससे अधिक है तो ऐसी बालिकाओं को सम्बधित जि.शि.अ. (मुख्यालय) के माध्य से प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को भेजना होगा।

6 आवेदन पत्र में ब्लॉक/पंचायत समिति का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

7 आवेदन पत्र में संबंध में यदि कोई समस्या हो तो संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी **(CBEO)**कार्यालय में सम्पर्क करें।

8 पुरस्कार राशि 3000/– रूपये देय होगी।

9 इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु **email.address: rajbalikasf@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

10 जिन बालिकाओं के स्कूल शो नही हो रहे है उस स्कूल को **RTE PORTAL** पर रजिस्ट्रर करवाना होगा। रजिस्ट्रर करवाने का कार्य विद्यालय द्वारा करवाया जाना है।

11 बैक खाता बालिका के नाम से या सयुक्त खाता होने की स्थिति में बालिका का नाम उस खाते में ही होना अनिवार्य है अन्यथा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

12 जिन बालिकाओ का आवेदन पत्र , **ACCOUNT NO/SCHOOL** आदि गलत भरे जाने के कारण जिसके कारण आवेदन पत्र **APPROVED** नही हुआ है तो ऐसी स्थिति में आवेदन की स्थिति/ **UPDATE** पर जाकर **UPDATE** कर सकते है।

13 आवेदन पत्र के अंत में यदि **PENDING** आ रहा है तो **CBEO** द्वारा वैरीफाई(जांच) करने के बाद **PENDING** हटकर उसके स्थान पर **APPROVED/REJECT** हो जायेगा।

14 आवेदन करने हेतु अंक तालिका में अंकित नाम एवं जन्म दिनांक के अनुरूप ही उक्त विवरण आधार कार्ड या जन–आधार कार्ड में अंकित होना अनिवार्य है यदि इनमें भिन्नता है तो आधार/जन–आधार कार्ड में अंकतालिका के अनुसार संशोधन करवाये जाने उपरान्त ही आवेदन किया जा सकेगा।

(तेजपाल मूण्ड)
उपसचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

(महेश कुमार)
सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार (कक्षा–12 हेतु) सत्र 2020–21 में आवेदन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित सी.सैकण्डरी, वरिष्ट उपाध्याय परीक्षा 2020 में 75 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेगी।

2 पुरस्कार राशि बालिकाओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जावेगी। इस हेतु बैंक पास बुक की फोटो प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी।

3 आवेदन पत्र में बालिका के स्वंय के **LIVE** (वर्तमान में संचालित) बैंक खाते का विवरण देना होगा।

4 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूची में यदि बालिका का नाम नही है तथा उसके प्राप्तांक 75 प्रतिशत या इससे अधिक है तो ऐसी बालिकाओं को सम्बधित जि.शि.अ. (मुख्यालय) माध्यमिक के माध्यम से प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को भेजना होगा।

5 आवेदन पत्र में ब्लॉक/पंचायत समिति का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

6 आवेदन पत्र में संबंध में यदि कोई समस्या हो तो संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी **(CBEO)**कार्यालय में सम्पर्क करें।

7 पुरस्कार राशि 5000/– रूपये देय होगी।

8 इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु **email.address: rajbalikasf@gmail.com** या मो. 6376248644 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

9 जिन बालिकाओं के स्कूल शो नही हो रहे है उस स्कूल को **RTE PORTAL** पर रजिस्ट्रर करवाना होगा। रजिस्ट्रर करवाने का कार्य विद्यालय द्वारा करवाया जाना है।

10 बैक खाता बालिका के नाम से या सयुक्त खाता होने की स्थिति में बालिका का नाम उस खाते में ही होना अनिवार्य है अन्यथा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

11 जिन बालिकाओ का आवेदन पत्र , **ACCOUNT NO/SCHOOL** आदि गलत भरे जाने के कारण जिसके कारण आवेदन पत्र **APPROVED** नही हुआ है तो ऐसी स्थिति में आवेदन की स्थिति/ **UPDATE** पर जाकर **UPDATE** कर सकते है।

12 आवेदन पत्र के अंत में यदि **PENDING** आ रहा है तो **CBEO** द्वारा वैरीफाई(जांच) करने के बाद **PENDING** हटकर उसके स्थान पर **APPROVED/REJECT** हो जायेगा।

13 आवेदन करने हेतु अंक तालिका में अंकित नाम एवं जन्म दिनांक के अनुरूप ही उक्त विवरण आधार कार्ड या जन–आधार कार्ड में अंकित होना अनिवार्य है यदि इनमें भिन्नता है तो आधार/जन–आधार कार्ड में अंकतालिका के अनुसार संशोधन करवाये जाने उपरान्त ही आवेदन किया जा सकेगा।

(तेजपाल मूण्ड)
उपसचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

(महेश कुमार)
सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर